क्रम संख्या — 69

रजि०, नं०, एल० डब्लू०/एन०, पी० 890

लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मार्च, 1999

चैत्र 3, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 781/सत्रह-वि-1—1 (क) 32-1999

लखनऊ, 24 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 पर दिनांक 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भागीरथी नदी घाटी के एकीकृत और सतत् विकास के पर्यवेक्षण और समन्वयन के लिए प्राधिकरण की स्थापना की, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण से है;

(ख) 'भागीरथी नदी घाटी' या 'घाटी' का तात्पर्य देवप्रयाग तक भागीरथी-भिलंगना नदी और उनकी सहायक नदियों की द्रोणी से है, और उसमें उसके पार्श्वस्थ ऐसे अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(ग) 'द्रोणी' का तात्पर्य घाटी के सम्पूर्ण जलागम क्षेत्र से है;

(घ) 'विकास अभिकरण' का तात्पर्य घाटी के विकास कार्य में लगे हुए किसी सरकारी विभाग, या संस्था या अन्य अभिकरण से है;

(ङ) 'सदस्य' का तात्पर्य प्राधिकरण के किसी सदस्य से है और इसमें उसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(च) 'सेक्टर' का तात्पर्य विकास की किसी मद से है और इसमें कृषि, सड़क, सेतु, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, संचार, आवास, पर्यटन और स्वास्थ्य और उससे संबंधित विषय भी हैं।

प्राधिकरण की स्थापना और गठन

3—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जिसे भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण कहा जायगा जो एक निगमित निकाय होगा।

(2) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
(ख) सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(ग) सचिव, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(घ) सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के प्रभारी;	सदस्य
(ङ) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग	सदस्य
(ञ) प्रमुख सचिव या यथास्थिति सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
(ट) प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग	सदस्य
(ठ) मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(ड) आयुक्त कुमायूं मण्डल	सदस्य
(ढ) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	सदस्य
(ण) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तरांचल विकास विभाग	सदस्य सचिव

(3) प्राधिकरण अपने साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो उसके द्वारा, अवधारित किये जाय, ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिनकी सहायता या सलाह उसे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुपालन के लिए वांछित हो, सहयुक्त कर सकता है और इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को प्राधिकरण के उन विचार-विमर्श में जो उन प्रयोजनों से सुसंगत हों, जिनके लिए उन्हें इस प्रकार सहयुक्त किया गया है, भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है, या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जिसका मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की शक्तियां व कर्तव्य

4—(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा सौंपे जायें।

(2) सदस्य-सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। उसकी सहायता अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जा सकेगी जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी विहित की जायें।

प्राधिकरण का कर्मचारी वर्ग

5—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायं प्राधिकरण ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

तकनीकी परामर्शदाता

6—(1) अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए प्राधिकरण केन्द्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से परामर्श करके निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से तकनीकी परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है :—

(क) पर्यावरण प्रबन्ध;

(ख) पर्यावरण भू-विज्ञान;

(ग) पारिस्थितिकी नियोजन;

(घ) एकीकृत ऊर्जा नियोजन;

(ङ) समाज विज्ञान;

(च) वन पारिस्थितिकी विज्ञान।

(2) तकनीकी परामर्शदाताओं की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य और उनकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जायं।

बैठकें

7—(1) जब तक कि अध्यक्ष सदस्यों को कार्यसूची परिचालित करके कामकाज करने के निदेश न दे प्राधिकरण के कामकाज बैठक में किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण की बैठक सामान्यत: प्रत्येक तीन मास में एक बार ऐसे दिनांक को, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर होगी जैसा अध्यक्ष निदेश दे।

(3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य जिसके सम्बन्ध में उपस्थित सदस्य सहमत हों, अध्यक्षता करेगा।

(4) जब तक कि धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) तक उल्लिखित सदस्यों में से एक और उक्त उपधारा के खण्ड (ङ) से (छ) तक में उल्लिखित सदस्यों में से एक सदस्य सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों तब तक बैठक में कोई कार्य नहीं किया जायेगा :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की अपेक्षा न होगी।

(5) किसी बैठक में उठाए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, और मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा।

प्राधिकरण के कृत्य

8—प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) द्रोणी के एकीकृत और अविरत विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के उपार्जन के लिए विकास योजना की विनिर्मिति और उसके निष्पादन की देखभाल करना। विकास योजना में जल-संसाधन, भूमि उपयोग और कृषि, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, संचार, आवास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और उनसे सम्बन्धित विषय भी सम्मिलित हैं;

(ख) द्रोणी में पारिस्थितिकीय सन्तुलन के अनुरक्षण के लिए प्रभावी और समयानुकूल कार्यवाही को, जिसमें क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्र का पुनरुद्धार भी सम्मिलित है, सुनिश्चित करना।

महायोजना का तैयार किया जाना

9—(1) प्राधिकरण, यथाशीघ्र घाटी के एकीकृत विकास के लिए महायोजना तैयार करेगा या तैयार करवायेगा।

(2) महायोजना में—

(क) द्रोणी की वहन क्षमता परिनिश्चित की जायेगी;

(ख) विभिन्न सेक्टर परिनिश्चित होंगे जिनमें विकास योजनाओं को विभाजित किया जा सके और वह रीति इंगित होगी जिसमें प्रत्येक सेक्टर का विकास किया जाना प्रस्तावित है और वे प्रक्रम इंगित होंगे जिनमें ऐसी विकास योजनाओं को चलाया जायेगा;

(ग) द्रोणी के विकास के लिए विकास योजनाओं के साथ वैकल्पिक योजनाओं की रूप रेखा होगी;

(घ) विभिन्न उपयोग और प्रयोजनों के लिए भूमि सीमांकित होगी, और

(ङ) उस ढांचे की बुनियादी प्रतिकृति होगी जिसके अंतर्गत विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

(3) महायोजना में ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था होगी जिन्हें घाटी के सतत् विकास के लिए आवश्यक समझा जाय।

राज्य सेक्टर योजना

10—(1) धारा 9 के अधीन महायोजना तैयार हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विकास अभिकरण महायोजना के अनुसार सेक्टर के लिए योजना की तैयारी का कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई सेक्टर के लिए योजना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुबन्धों और मापदंडों के अनुरूप होगी।

प्राधिकरण की शक्तियां

11—(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या उसके आनुषंगिक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति में निम्नलिखित शक्तियां भी सम्मिलित होंगी :—

(क) किसी विकास योजना के बारे में उसका निष्पादन करने वाले विकास अभिकरण से सूचना मांगना;

(ख) घाटी में किसी विकास योजना को अनुमोदित या अननुमोदित करना जिसकी रूपरेखा महायोजना में दी गई हो और जो विकास अभिकरण द्वारा तैयार की गई हो;

(ग) किसी सेक्टर के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुरूप कार्य करने के लिए किसी विकास अभिकरण को निदेश देना;

(घ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य अभिकरण की सहायता लेना;

(ङ) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों की उप-समितियां बनाना;

(च) प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने किन्हीं कृत्यों को प्रत्यायोजित करना।

(3) प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना घाटी में किसी विकास योजना पर, जिसकी रूप रेखा महायोजना में दी गई हो, प्रारम्भिक या अन्यथा, कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण की निधि

12—(1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी जिसका वह अनुरक्षण करेगा और उसमें प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों को, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धन सम्मिलित है, जमा किया जायेगा और प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान उससे किए जायेंगे।

(2) प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा इतना वित्त पोषित किया जायेगा जितना इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

(3) निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उपगत व्ययों को वहन करने के लिए किया जायेगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

13—निधि की धनराशि सरकारी कोषागार में लोक लेखा खाते में जमा की जायेगी जिसका संचालन सदस्य-सचिव द्वारा या तो अकेले या किसी ऐसे अन्य सदस्य या अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा, जिसे प्राधिकरण प्राधिकृत करे: निधि का अनुरक्षण

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि यह प्राधिकरण को चालू जरूरतों के लिए आवश्यक नकद रोकड़ रखने से निवारित करती है।

14—प्राधिकरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आय-व्ययक तैयार करेगा जिसमें अनुमानित आय और व्यय दिखाया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर के पूर्व राज्य सरकार को भेजेगा। आय-व्ययक

15—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपने कार्य कलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। वार्षिक रिपोर्ट

16—(1) प्राधिकरण का सदस्य-सचिव प्राधिकरण का समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करेगा और उसे प्राधिकरण के समक्ष रखेगा जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायगी। लेखा और लेखा परीक्षा

(2) प्राधिकरण के लेखा की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जायेगी और ऐसी लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा देय होगा।

(3) ऐसी लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो उक्त निदेशक को किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में हैं और विशेष रूप से उसे बहियां, लेखा, वाउचर और अन्य दस्तावेजों और कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) प्राधिकरण का परीक्षित लेखा प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण के समक्ष ऐसे दिनांक को या ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा प्राधिकरण निदेश दे, अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

17—प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत हो, सभी युक्तियुक्त समय पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और ऐसे कार्य कर सकता है जो अपने किसी कार्य को विधिपूर्वक करने, या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने के लिए प्रासंगिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण खोज और पूर्वेक्षण करने के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हों। प्रवेश करने की शक्ति

18—राज्य सरकार और केन्द्र सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे निदेशों का पालन करना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा। निदेश देने की शक्ति

19—(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों। विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण ऐसे विनियम में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकता है:—

(क) प्राधिकरण या उसकी समितियों के कार्य के संव्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्य और कर्तव्य;

(ग) प्राधिकरण की समितियों का गठन, शक्ति, कर्तव्य और कृत्य;

(घ) प्राविधिक विशेषज्ञों की शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियम में उपबन्ध किया जाना हो या

नियम बनाने की शक्ति

20—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

21—प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के संबंध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।

निरसन और अपवाद

22—(1) उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 781 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 32-1998

Dated Lucknow, March 24, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhagirathi Nadi Ghati Pradhikaran Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH BHAGIRATHI RIVER VALLEY AUTHORITY ACT, 1999

(U. P. Act No. 14 of 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

An

ACT

to provide for the establishment of an Authority for the supervision and co-ordination of the integrated and sustained development of the Bhagirathi river valley and for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Bhagirathi River Valley Authority Act, 1999.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

2. In this Act,

(*a*) "Authority" means the Bhagirathi River Valley Authority established under section 3;

(*b*) "Bhagirathi River Valley" or "Valley" means the basin of the Bhagirathi Bhilangana rivers and their tributaries upto Deoprayag, and shall include such other areas adjacent thereto, as the State Government may, by notification, specify;

(*c*) "basin" means the entire catchment area of the valley;

(*d*) "development agency" means any government department, or institution, or other agency engaged in the work of the development of the valley,

(*e*) "member" means a member of the Authority and includes its Chairman;

(*f*) "sector" means an item for development and includes agriculture, road, bridge, industry, irrigation, transport, communication, housing, tourism and health and matters related thereto.

Establishment and constitution of the Authority

3. (1) The State Government shall, by notification, establish, for the purposes of this Act, an Authority to be called the Bhagirathi River Valley Authority, which shall be a body corporate.

(2) The Authority shall consist of the following members, namely :—

(*a*) The Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh:	*Chairman*
(*b*) The Secretary, Ministry of Energy, Government of India;	*Member*
(*c*) The Secretary, Ministry of Forest and Environment, Government of India;	*Member*
(*d*) The Advisor, Planning Commission of the Government of India in charge of the hill areas;	*Member*
(*e*) The Agricultural Production Commissioner to the Government of Uttar Pradesh;	*Member*
(*f*) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Industrial Development Department;	*Member*
(*g*) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Irrigation Department;	*Member*
(*h*) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department;	*Member*
(*i*) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Planning Department;	*Member*
(*j*) The Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government of Uttar Pradesh, Environment Department;	*Member*
(*k*) The Principal Secretary *cum* Legal Remembrancer to the Government of Uttar Pradesh in the Judicial Department;	*Member*
(*l*) The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh;	*Member*
(*m*) Commissioner, Kumaun Division;	*Member*
(*n*) Commissioner, Garhwal Division;	*Member*
(*o*) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Uttranchal Vikas Vibhag.	*Member-Secretary*

(3) The Authority may associate with itself in such manner and for such purposes as may be determined by it, such other persons whose assistance or advice it may desire for complying with any of the provisions of this Act and the persons so associated shall have the right to take part in the discussions of the Authority relevant to the purpose for which they have been so associated but shall not be entitled to vote.

(4) No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely by reason of—

(*a*) any vacancy or any defect, in the constitution of the Authority; or

(*b*) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or

(*c*) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

Powers and duties of Chairman and Member Secretary

4. (1) The Chairman and the Secretary of the Authority shall exercise such powers and discharge such duties as may be assigned to them by this Act or the rules made thereunder.

(2) The Member Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Authority. He may be assisted by Additional Chief Executive Officer who shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.

Staff of the Authority

5. (1) Subject to such conditions as may be prescribed the Authority may appoint such other officers and employees as it considers necessary for the efficient performance of its functions.

(2) The terms and conditions of the service of the officers and employees referred to in sub-section (1) shall be such as may be determined by the regulations.

Technical Advisors

6. (1) For the efficient discharge of its functions, the Authority may, in consultation with the Central Government in the Ministry of Forest and Environment, appoint technical advisors from amongst experts in the fields of,—

(*a*) Environment Management,

(*b*) Environment Geology,

(*c*) Eco-System Planning,

(*d*) Integrated Energy Planning,

(*e*) Social Science,

(*f*) Forest Ecology.

(2) The powers, duties and functions of the technical advisors, and the terms and conditions of their appointment shall be such as may be determined by the regulations.

Meeting

7. (1) The business of the Authority shall be transacted in a meeting unless the Chairman directs any business to be transacted by circulation of agenda among the members;

(2) The meeting of the Authority shall ordinarily be held once in every three months on such date, at such time and at such place as the Chairman may direct;

(3) At every meeting of the Authority, the Chairman, or in his absence, such member as may be agreed to by the members present, shall preside;

(4) No business shall be transacted at any meeting unless at least four members, including one from amongst the members mentioned at clauses (*a*) to (*d*) of sub-section (2) of section 3 and one from clauses (*e*) to (*g*) of the said sub-section are present :

Provided that no quorum shall be required for a meeting adjourned for want of quorum;

(5) All questions arising at a meeting shall be decided by the majority of the members present and voting, and in case of equality of votes the Chairman or the member presiding at the meeting shall have a casting vote.

Functions of the Authority

8. The functions of the Authority shall be to—

(*a*) oversee the formulation and execution of development plan to achieve optional utilisation of natural resources for integrated and sustainable development of the basin. The development plan shall include water resources, land use and development of agriculture, energy, industry, transport, communication, housing, tourism, health services and related matters ;

(*b*) ensure effective and timely action for maintenance of ecological balance in the basin including rehabilitation of damaged ecological system.

Preparation of Master Plan

9. (1) The Authority shall, as soon as may be, prepare or cause to be prepared a Master-Plan for the integrated development of the valley.

(2) The Master Plan shall—

(*a*) define the carrying capacity of the basin ;

(*b*) define the various sectors into which the development schemes may be divided and indicate the manner in which each sector is proposed to be developed and the stage by which such development schemes shall be carried out ;

(*c*) outline the development schemes with alternative schemes for the development of the basin ;

(*d*) demarcate the land for various use and purposes ; and

(*e*) serve as basic pattern of frame work within which the development schemes may be prepared.

(3) The Master Plan may provide for such other matters as may be considered necessary for the sustained development of the valley.

Sector Plan

10. (1) As soon as may be, after the preparation of the Master Plan under section 9, the development agencies shall proceed with the preparation of the plan for the sector in accordance with the Master Plan.

(2) A Plan for the sector prepared under sub-section (1) shall conform to the stipulations and norms laid down by the State Government and the Central Government.

Powers of the Authority

11. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall exercise such powers as are necessary for, or, incidental to, the performance of its functions and discharge of its duties under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), such powers shall include the powers—

(*a*) to call for information about any development scheme from the development agency executing the same;

(*b*) to approve or disapprove any development scheme in the valley outlined in the Master Plan and prepared in a development agency;

(*c*) to direct any development agency to conform to the policies accepted by the Authority in respect of any sector;

(*d*) to take assistance of any organisation of the Central Government or State Government or of any other agency for implementation of its policies and programmes;

(*e*) to form sub-committees of its members for the purpose of accomplishment of its objects, and

(*f*) to delegate any of its functions to any member or officer of the Authority.

(3) No work, whether preliminary or otherwise, or, any development scheme outlined in the Master Plan, shall be initiated in the valley without prior approval of the Authority.

Fund of the Authority

12. (1) The Authority shall have and maintain its own fund and all receipts of the Authority, including any money received from the State Government or the Central Government by way of grant or otherwise, shall be credited thereto and all payments by the Authority shall be made therefrom.

(2) The Authority shall be provided, by the State Government with such finances as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

(3) The fund shall be applied towards meeting the expenses incurred by the Authority for carrying out the purposes of this Act and for no other purpose.

Maintenance of the fund

13. The amount of the fund shall be deposited in the Public Ledger Account in a Government Treasury, which shall be operated by the Member-Secretary either singly or jointly with such other member or officer as the Authority may authorise:

Provided that nothing in this section shall be deemed to preclude the Authority from retaining such balance in cash as may be necessary for current payments.

Budget

14. The Authority shall prepare in such form and at such time, as may be prescribed, its budget for the next financial year showing the estimated income and expenditure and shall forward a copy thereof to the State Government before October 15 every year.

Annual Report

15. The Authority shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government and a copy thereof to the Central Government in such form and before such date as the State Government may specify.

Accounts and audit

16. (1) The Member-Secretary of the Authority shall maintain proper accounts of the Authority and other relevant records and prepare an annual statement at the close of each financial year and shall place it before the Authority and a copy thereof shall be sent to the State Government.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Director, Local Fund Audit Department and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Authority.

(3) The Director, Local Fund Audit Department or any person appointed by him in connection with such audit shall have the same rights, privileges and authority as the said Director has in connection with the audit of the accounts of a local authority and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Authority.

(4) The audited accounts of the Authority shall be placed every year before the Authority for approval on or before such date as the Authority may direct.

Power of entry

17. Any officer or employee of the Authority, generally or specially authorised by the Authority, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things as may be reasonably necessary for the purpose of lawfully carrying out any of its work, or, making any survey, exploration and prospecting, preliminary or incidental to the exercise of powers or the performance of functions by the Authority under this Act.

Power to issue directions

18. The State Government and the Central Government may, from time to time, issue to the Authority such directions as in its opinion may be necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be the duty of the Authority to comply with such directions.

Power to make regulations

19. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the administration of the affairs of the Authority.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Authority may make regulations providing for—

(a) the procedure in regard to the transaction of business of the Authority or its committees.

(b) the functions and duties of the officers and employees of Authority.

(c) the constitution, powers, duties and functions of committees of the Authority.

(d) the powers and functions of the technical experts.

(e) any other matter for which provision is to be, or may be, made in the regulations.

20. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer thereof in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules and regulations made thereunder. Protection of action taken in good faith

22. (1) The Uttar Pradesh Bhagirathi River Valley Authority Ordinance, 1998 is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 309 सा० विधा०—(2501)—1999—850 (मैके०)।